UPRN010038522022

न्यायालय IInd Additional District and Sessions Judge / Spl. Judge(S.C./S.T.), Kanpur Dehat

पीठासीन अधिकारी– (Sri. Amit Malaviya), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06214**

प्रकीर्ण वाद संख्या–357/2022

कुसमा देवी बनाम जय प्रकाश उर्फ सोनू आदि

थाना–चौबेपुर, जिला कानपुर नगर।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3)दण्ड प्रक्रिया संहिता।

दिनांक 05.09.2022

प्रार्थिनी कुसमा देवी के द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा –156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में विपक्षीगण जय प्रकाश कुशवाहा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के कथन इस प्रकार से है कि प्रार्थिनी बर्रा कानपुर में नौकरी करती थी। वहीं पर मकान मालिक के भतीजे जय प्रकाश कुशवाहा से सन 2017 में मुलाकात हुयी और जय प्रकाश जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव डालने लगा और प्रार्थिनी के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये कई बार जय प्रकार अपने गाँव बिकरू भी ले गया जहाँ। काफी दिनों तक रखा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। प्रार्थिनी ने दिनांक 02.05.2022 को प्रार्थिनी ने शादी करने के लिए कहा तो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए शादी करने से इंकार कर दिया। घटना की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में थानाध्यक्ष को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर आउटर को दिये गये आवेदन पत्र की छाया प्रति, व रजिस्ट्री रसीद की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

आवेदिका द्वारा पत्रवली पर जो अभिलेखीय साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों वर्णित किये गये है उनको दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध गठित होता है। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले की जाँच पुलिस के द्वारा कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थिनी / आवेदिका का प्रार्थना–

पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा – 156 (3) दं. प्र. सं. स्वीकार किया जाता है। संबंधित थाना प्रभारी चौबेपुर, जिला कानपुर नगर को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति संबंधित प्रभारी निरीक्षक को आदेश के अनुपालनार्थ भेजी जाये।

दिनांक 05.09.2022

(अमित मालवीय)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी एक्ट)
कानपुर देहात।

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2022.09.10 14:20:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court